

दिनांक-21.11.2023

आदेश

माह दिसम्बर-2023 से माह मार्च-2024 तक सम्बन्धित अवकाश के दिनों में दाण्डिक न्यायिक कार्यों से सम्बन्धित रिमाण्ड कार्य आदि सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में रिमाण्ड मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। अतः निम्न प्रकार से व्यवस्था की जाती है :-

क.सं.	माह	रिमाण्ड हेतु नामित अधिकारी
1.	दिसम्बर-2023	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-6, मुरादाबाद ।
2.	जनवरी-2024	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-2, मुरादाबाद ।
3.	फरवरी-2024	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०-5, मुरादाबाद।
4.	मार्च-2024	अपर सिविल जज (सी०डि०) न्यू कोर्ट नं०-2, मुरादाबाद।

दिनांक 21-11-2023

21.11.23
(तृषा मिश्रा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुरादाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1-माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-6, मुरादाबाद ।
- 3-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०-2, मुरादाबाद ।
- 4-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०-5, मुरादाबाद ।
- 5-अपर सिविल जज (सी०डि०) न्यू कोर्ट नं०-2, मुरादाबाद ।
- 6-जेल अधीक्षक, जिला कारागार मुरादाबाद।
- 7-समस्त बार एसोशिएशन, मुरादाबाद एवं बार एसोशिएशन ठाकुरद्वारा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 8-संयुक्त निदेशक अभियोजन, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/11/23

23/11/23